The Uttarakhand Ceiling on Government Guarantee Act, 2016

Act No. 41 of 2016

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या– 192(ख) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 382 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2016

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 को दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 41 सन 2016 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 41 वर्ष 2016)

सरकारी प्रत्याभूति एवं उससे सम्बंधित अन्य विषयों व आनुषंगिक विषयों के विनियमन हेतु–

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करे।

परिभाषा

2. (क) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ख) 'सरकारी प्रत्याभूति' के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागीय उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, संवैधानिक बोडों एवं निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं उत्तराखण्ड सरकार के अंतर्गत अन्य प्राधिकरणों एवं अभिकरणों को प्रदान की जाने वाली प्रत्याभूति अभिप्रेत है;

(ग) 'विहित' से इस अधिनियम द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घ)' निजी कम्पनी' से कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 3 द्वारा परिभाषित निजी कम्पनी अभिप्रेत है;

(ड.) 'निजी संस्था' से वह संस्था अभिप्रेत है जो कि अपने कुल वित्तपोषण का 50 प्रतिशत से कम सरकारी अभिकरणों से प्राप्त करता हो;

(च) राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।

सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम सीमा

3 (1)किसी वर्ष की पहली अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल प्रत्याभूति की मात्रा राज्य क उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिश्ज्ञत से अधिक नही होगी।

(2) किसी वर्ष में दी जाने वाली कुल नई सरकारी प्रतिभूति उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत से अधिक नही होगीः

परन्तु यह कि अति आपातकालीन परिस्थितियों एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, जहां सरकार द्वारा शीघ्रतिशीघ्र राजकोषीय नीति सम्बंधी उपायों को अपनाने की अपेक्षा होगी, वहां ऐसे उपाया सरकार उपधारा (1) और (2) के अधीन विहित परिसीमा से अधिक कर सकेगी।

सरकारी प्रत्याभूति पर सीमा

4 किसी अन्य अधिनियमों में किसी बात के होते हुए भी–

(1) सरकारी प्रत्याभूति सामान्यतः विभागीय उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, संवैधानिक बोर्डों एवं निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं

उत्तराखण्ड सरकार के अंतर्गत अन्य प्राधिकरणें एवं अभिकरणों की ओर से सरकार द्वारा विस्तारित की जायेगी।

(2) वैयक्तिकों, निजी संस्थाओं या निजी कम्पनियों द्वारा लिये जानेवाले ऋण पर प्रत्याभूति प्रदान नहीं की जायेगी।

प्रत्याभूति शुल्क 5. (1) सरकार प्रत्याभूत ऋण का न्यूनतम 1 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क अधिरोपित करेगी, जिसे किसी भी स्थिति में माफ नही किया जायेगा।

(2) परियोजना की भुगतान सम्बंधी जोखिम के आधार पर सरकार, अधिसूचना के द्वारा पूर्व विनिर्दिष्ट प्रत्याभूति शुल्क र बढी हुइ दरें विहित कर सकेगी।

टिप्पणी— भुगतान सम्बंधी जोखिम'' से सरकार द्वारा जिसके लिये प्रत्याभूति दी गई है उसे चुकाने में ऋणी की चूक की सम्भावना से है, जो उधार ली गई धनराशि की मात्रा, उद्योग के प्रकार तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर होगी।

प्रत्याभूति मोचन निधि 6. (1) धारा 5 के अधीन अधिरोपित प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया जायेगा और इसे राज्य के लोक खाते में रखा जायेगा।

(2) प्रत्याभूति मोचन निधि का विनियमन ऐसी रीति से होगा जैसा विहित किया जाय।

सरकार की नियम बनाने की शक्ति 7. सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

———————

The Uttrakhand Ceiling On Government Guarantee Act, 2016
(Uttrakhand Act No. 41 Of 2016)

AN
ACT

to provide for regulation of Government guarantees and other matters connected therewith or incidental thereto,

It is hereby enacted by the Uttrakhand Legislative Assembly in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement 1 (1)This Act may be called the Uttrakhand Ceiling on Government Guarantees Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

Definition **2** In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) 'Government' means the Government of Uttarakhad;
(b) 'Government Guarantees' includes the guarantee given by the State Government on behalf of Departmental Undertakings, Public sector Undertakings, Local Authorities, Statutory Boards and Corporations, Co-operative Institutions and other authorities and agencies under the Government of Uttarakhand;
(c) 'prescribed' means prescribed by rules made under the Act;
(d) 'private company' means a private company as defined in section 03 of the companies Act, 1956;
(e) 'private institution' means who is receive less than 50 percent of its core funding from government agencies;
(f) 'State' means the State of Uttarakhand.

Ceiling on Government Guarantees **3** (1) The total outstanding Government guarantees as on the first day of April of any year shall not exceed 1 percent of the Gross State Domestic Product estimated for the year.

(2) The total fresh Government guarantees given in a year shall not exceed 0-03 percent of Gross State Domestic product estimated for the years;

Provided that under the extreme exigencies and occurrence of natural calamities of the order which require the Government to take immediate fiscal policy measures, the Government may exceed the ceiling prescribed under sub-section (1) and (2).

Restrictions on Government Guarantees 4 Notwithstanding anything contained in any other Acts:

(1) The Government guarantee shall ordinarily be extended by the

		Government on behalf of the Departmental Undertakings, Public Sector Undertakings, Local Authorities, Statutory Boards and Corporations, co-operative Institutions and other Authorities and Agencies under the Government. (2) No Guarantees shall be award in respect of loan individual, private institutions or private companies.
Guarantees Commission	5	(1) The Government shall charge a minimum of 1.00 per cent of the amount of Guaranteed loan as guarantees commission, which shall not be waived under any circumstances. (2) Depending on the default risk of the project the Government may, by notification, specify commission at an enhanced rate. Note- Default risk" means the probability of default by the borrower on whose behalf the Government Guarantees is given, depending on the amount borrowed, the type of industry and the economic situations.
Guarantees Redemption Fund	6	(1) The Guarantee commission charged under section 5 shall recover from the corpus of the Guarantee Redemption fund and it shall be remitted in the Public Accounts of the States. (2) The administration of Guarantee Redemption fund shall be in such manner as may be prescribed.
Power of Government to make rules	7	The Government may by notification in the Uttarakhand Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Acts.